सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भगरुप या इस बारे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पंहुच होगी।

(मैनुअल-8)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–1
संख्या– / XXII-1 / 2020–2(5)2015 टी.सी
दिनांक : 07 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञाप

रिट पिटीशन (सिविल) संख्याः 197/2004, रिट पिटीशन संख्याः 13/2003 (सिविल), अवमानना याचिका संख्याः (सिविल) 692/2015 तथा अवमानना याचिका संख्या (सिविल) 485/2015 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2015 एवं दिनांक 28.04.2016 को पारित निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या–478/XXII–1/2019–2(5)2015 टी.सी., दिनांक 06 दिसम्बर 2019 के द्वारा निर्धारित उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु दिशा–निर्देश (guideline), 2019 के अनुसार महानिदेशक, सूचना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में निम्न 02 महानुभावों को अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर नियुक्त किया जाता है।

1. श्री राजेन्द्र जोशी–अध्यक्ष
2. श्री ब्रह्म दत्त शर्मा–सदस्य

2. उक्त समिति के क्षेत्राधिकार, कार्य व शक्तियां, कार्यकाल एवं मानदेय इत्यादि के संबंध में उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति हेतु दिशा–निर्देश (guideline), 2019 (समय–समय पर यथासंशोधित) की अन्य सभी शर्ते प्रभावी रहेंगी।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 51 /XXII-1/2020–2(5)2015 टी.सी.तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित महानुभाव को महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग-01
संख्या-478/XXII-1/2019-2(5)2015 टी.सी.
देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2019

उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश (Guidelines), 2019 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन), भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
2. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, न्याय उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
7. सदस्य सचिव, विज्ञापन अनुश्रवण समिति।
8. समस्त सदस्य-विज्ञापन अनुश्रवण समिति।
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संलग्नक.....संख्या–478/XXII-1/2019-2(5)2015 टी.सी.

उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति के गठन हेतु दिशा–निर्देश (Guidelines),2019

उद्देश्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (Civil) No. 13 of 2003 with WP (Civil) No. 197 of 2004 and WP (Civil) No. 302 of 2012 में दिनांक 13.05.2015 को पारित निर्णय/आदेश के अनुपालन में सरकारी विज्ञापनों के सामग्री विनियमन हेतु राज्य सरकार को तटस्थता और निष्पक्षता के साथ एक निर्विवाद ऐसे तीन सदस्यीय विज्ञापन अनुश्रवण समिति का गठन करना है जिसमें ऐसे तटस्थ और निष्पक्ष व्यक्ति हों जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। अतः मा. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में सरकारी विज्ञापनों के सामग्री विनियमन हेतु, तीन सदस्यीय विज्ञापन अनुश्रवण समिति के कार्य/दायित्व, कार्यकाल, मानदेय आदि को विनियमित करने के लिए सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित दिशा–निर्देश निर्धारित किये जा रहे हैं:–

1. तीन सदस्यीय समिति की संरचना

1. **अध्यक्ष** : अध्यक्ष/सदस्य, सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा संवर्ग, जो कि राज्य सरकार के सचिव स्तर से अन्यून न हो अथवा किसी ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार;
2. **सदस्य** : विज्ञापन/प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति;
3. **सदस्य** : भारतीय प्रेस परिषद द्वारा उत्तराखण्ड से नामित सदस्य।

महानिदेशक, सूचना द्वारा तीन सदस्यीय अनुश्रवण समिति के सदस्य सचिव के रूप में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित किया जायेगा।

2. समिति के चयन के लिए सर्च कमेटी का गठन

तीन सदस्यीय समिति के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से निम्नानुसार सर्च कमेटी का गठन किया जायेगा:–

(क) **अध्यक्ष** : मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन;
(ख) **सदस्य** : प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन;
(ग) **सदस्य** : प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन;
(घ) **सदस्य सचिव** : महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

तीन सदस्यीय सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा सर्च कमेटी के द्वारा प्रस्तावित नाम के पैनल में से की जायेगी ।

3. तीन सदस्यीय समिति का क्षेत्राधिकार

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित समस्त विज्ञापनों से सम्बन्धित प्रकरण जिसके अन्तर्गत :–

1. राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभाग;
2. राज्य के स्थानीय निकाय / स्वायतशासी संस्थान / परिषद / निगम;
3. राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वयंसेवी संस्थान एवं अन्य संस्थान शामिल होंगे।

परन्तु जिन संस्थानों को राज्य सरकार सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान नहीं की जाती उनके विज्ञापन इस समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आयेंगे ।

4. तीन सदस्यीय समिति के कार्य और शक्तियॉ

1. समिति मा. सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के कियान्वयन के उल्लंधन के संबंध में जन–सामान्य से प्राप्त होने वाली शिकायतों का संज्ञान लेगी और उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग से लिखित रूप में मंतब्य प्राप्त कर समिति अपनी सिफारिश सुधारात्मक कार्यवाही हेतु शासन / प्रशासकीय विभाग को भेजेगी।
2. समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग से लिखित मंतब्य प्राप्त कर समिति अपनी सिफारिश सुधारात्मक कार्यवाही हेतु शासन / प्रशासकीय विभाग को भेजेगी।
3. समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सूचनाओं और जानकारियों को गोपनीय बनाए रखेगी एवं ऐसे किसी व्यक्ति अथवा पक्ष को कोई सूचना एवं जानकारी नहीं देगी जिसका इस मामले से संबंध न हो। केवल संबंधित पक्ष की सहमति पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
4. समिति उसके द्वारा प्रत्येक माह निष्पादित किये गये कार्यों/प्रकरणों की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सचिव सूचना, उत्तराखड शासन को प्रस्तुत करेगी। समिति सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी।
5. समिति के द्वारा मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु जो प्रक्रिया ऋजु एवं उचित हो, वह प्रक्रिया समिति स्वयं निर्धारित करेंगी। समिति स्वयं का प्रोसेस एवं प्रक्रिया शिकायतों के अनुश्रवण एवं उनके समाधान के लिए निर्धारित करेंगी ।

5. कार्यकाल

समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 02 वर्ष होगा, जिसे राज्य सरकार के द्वारा 01 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

6. निर्णय

समिति के निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर मान्य होंगे। चूंकि समिति में तीन सदस्य है, अतः ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि किसी मामले में तीनों सदस्यों का एकमत न हो। अतः ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए उचित होगा कि निर्णय बहुमत से होगें।

7. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य का त्यागपत्र एवं निष्कासन

1. समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा अपने त्यागपत्र की सूचना लिखित में राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. राज्य सरकार समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह :–

(अ) दिवालिया घोषित हो गया हो या पूर्व में घोषित हुआ हो; अथवा

(ब) किसी अपराध के लिए दोषसिद्व किया गया हो जो अनैतिक कृत्य से सम्बन्धित हो; अथवा

(स)ऐसे किसी वित्तीय या अन्य हित जो सदस्य के रूप में उसके क़ार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो; अथवा

(द) पद के दुरूपयोग; अथवा

(च) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपने दायित्वों के निर्वहन में अक्षम हो गया हो,

8. मानदेय

(क) राज्य सरकार द्वारा समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रति बैठक हेतु ₹ 5,000/–की एक निश्चित धनराशि का मानदेय दिया जायेगा।

(ख)समिति की माह में सामान्यतः अधिकतम चार बैठक आयोजित होंगी। बैठक की तिथि का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा।

(ग) अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को राज्य के भीतर बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अपने निवास स्थान से कार्यालय आने–जाने हेतु प्रथम श्रेणी (लेवल–11, ₹ 67700–208700 के समतुल्य) का वाहन सुविधा/वास्तविकता के आधार पर किराया की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

9. बजट

राज्य सरकार द्वारा समिति के कार्यों के निष्पादन हेतु अलग से बजट का प्रावधान किया जायेगा।

10. अवस्थिति

1. समिति का कार्यालय एवं बैठक का स्थान सूचना निदेशालय, देहरादून होगा। संबंधित विभाग द्वारा समिति के कार्यालय हेतु दो कक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. समिति के कार्यालय संबंधी कार्यों के सम्पादन हेतु दो मल्टी टास्क स्टाफ/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तथा दो चतुर्थ श्रेणी कार्मिक आउटसोर्स के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

Guidelines for constitution of Uttarakhand Advertisement Monitoring Committee, 2019

Objective

In compliance with the decision/order passed by Hon'ble Supreme Court on date 13.05.2015 in WP (Civil) No. 13 of 2003 with WP (Civil) No. 197 of 2004 and WP (Civil) No 302 of 2012, the State Government has to constitute an unquestioned three–member Advertising Monitoring Committee for content regulation of government advertising with neutrality and impartiality. wherein there are such neutral and unpartial people who have excelled in their respective fields. Therefore, in compliance with the said order of the Hon'ble Supreme Court for content regulation of government advertisements, after due consideration, following guidelines are being laid to regulate the work/responsibilities, tenure, honorarium etc. of the committee for the content regulation of government advertisements:-

1. Structure of a Three Member Committee

1. Chairman- Chairman/Member, Retired All India Service Cadre, which not to be unsuitable at the level of Secretary to the Government or any senior journalist of repute;

2. Member- An eminent person working in the field of print media/advertisement;

3. Member- Member nominated from Uttarakhand by Press Council of India.

Additional Director or Joint Director level officer will be nominated as a Member Secretary of the three member monitoring committee by the Director General, Information.

2. Constitution of Search Committee for selection of committee

For the selection of a three-member committee with the prior permission of the competent authority, a search committee will be constituted by the State Government as follows:-

(a) Chairman: Chief Secretary, Government of Uttarakhand;
(b) Member: Principal Secretary/Secretary, Law, Government of Uttarakhand;
(c) Member: Principal Secretary/Secretary, Information, Government of Uttarakhand;
(d) Member Secretary: Director General, Information and Public Relation Department.

Three member committee will be appointed by State Government through the panel of proposed name.

3. Jurisdiction of the Three Member Committee

All advertisements financed by the State Government which includes:-

1. All government departments of the State Government;
2. State's local bodies/autonomous institutions/boards/corporations;
3. All voluntary and other organizations which are financially aided by the State Government.

Provided that advertisement of such institutions which are not given any financial assistance/grant by the State Government will not be under the purview of this committee.

4. Functions and powers of the three-member committee

1. The committee will take cognizance of complaints received from the public regarding violation of implementation of the guidelines of the Hon'ble Supreme Court and in case of violation of implementation of guidelines, the committee will send its recommendation for taking corrective action to the administrative department after receiving the intent in writing from the concerned department.

2. The committee will take suo moto cognizance of violations of Hon'ble Supreme Court guidelines, receive written intent from department concerned and send its recommendation for taking corrective action to government/administrative department.

3. During the discharge of its duties, Committee will maintain secrecy of information and details, and will not provide any information or detail to any such person or party which is not related to this case. Information will be provided only on the approval of the party concerned.

4. Monthly report of works/cases executed by the committee will present before the Secretary Information in first week of subsequent month. The committee will also present the annual report to the Secretary, Information Government of Uttarakhand.

5. For the speedy disposal of matters by the committee right and appropiriate process will be finalized by the Process Committee itself. Committee will decide the its process for the solution and monitoring of the complaints

5. Tenure

The tenure of each member of the committee will be for a maximum of two years, which may be extended for one year by the State Government.

6. Decisions

All the decisions of the committee will be valid on the basis of unanimity. Because committee has three members so there might be chances that all the three members not agreeing in some matters. In such a situation dicision will be taken by majority.

7. Resignation or removal of the committee's Chairman and Member

1. The chairman or member of the committee will provide information about his resignation in writing to the State Government.
2. The State Government may remove the chairman or member of the committee if:-

(a) Declared bankrupt or declared so in the past; or
(b) convicted for such a crime which is related to immoral act; or
(c) such any financial or other interest which is affected the work of member

unfavourbel; or

(d) Misuse of the post; or

(e) He has become physically or mentally incapable of discharging his duties.

8. Honorarium

(a) The State Government will give the fixed amount of Rs 5,000 per meeting as honorarium to the each member of the committee.

(b) Maximum four meetings of the committee will be held in a month generally. The date of the meeting will be decided by the member secretary.

(c) To participate in the meeting within the state by the Chairman and all the Members, to come to office from place of residence based on first class (Equivalent to Level-11, Rs. 67700-208700) vehicle facility or reimbursement of rent on reality basis will be permissible.

9. Budget

Separate budget provision will be made by the State Government for execution of the committee's work.

10. Location

(a) The location of the committee's office and meeting will be Directorate of Information Department, Dehradun. Two rooms for office of the committee will be provided by the concerned department.

(b) The State Government will provide two multi task staff/data entry operator and two Class IV personnel through outsource for the execution of the office related works of the committee.

(Dilip Jawalkar)
Secretary